Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020......77............

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
शेखपुरा, बेगूसराय, सहरसा, मुंगेर, सीतामढ़ी, अरवल, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), लखीसराय, मधेपुरा, जहानाबाद, अररिया, पूर्णियाँ, शिवहर, सुपौल, जमुई, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बाँका

पटना, दिनांक : 08-01-2021

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत ईकाई कोड– 28 02 संविदा सेवाएँ में वित्तीय वर्ष 2020–21 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वत्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित नवनियोजित संविदा कर्मियों को पारिश्रमिकी / मानदेय के भुगतान हेतु मो0 84,71,04,000 / – (चौरासी करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रूपये मात्र) रूपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :–

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या	आवंटित राशि (59000X6 माह)	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की संख्या	आवंटित राशि (36000X6 माह)	विशेष सर्वेक्षण अमीन की संख्या	आवंटित राशि (31000X6 माह)	विशेष सर्वेक्षण लिपिक की संख्या	आवंटित राशि (25000X6 माह)	कुल आवंटन (4+6+8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शेखपुरा	16	5664000	32	6912000	232	43152000	32	4800000	60528000
2	बेगूसराय	20	7080000	38	8208000	324	60264000	38	5700000	81252000
3	सहरसा	5	1770000	10	2160000	83	15438000	10	1500000	20868000
4	बाँका	12	4248000	18	3888000	181	33666000	15	2250000	44052000
5	मुंगेर	13	4602000	18	3888000	218	40548000	20	3000000	52038000
6	सीतामढ़ी	9	3186000	14	3024000	151	28086000	12	1800000	36096000
7	अरवल	16	5664000	25	5400000	236	43896000	26	3900000	58860000
8	नालन्दा	18	6372000	24	5184000	287	53382000	34	5100000	70038000
9	लखीसराय	16	5664000	22	4752000	250	46500000	21	3150000	60066000
10	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	12	4248000	15	3240000	170	31620000	15	2250000	41358000
11	मधेपुरा	6	2124000	10	2160000	94	17484000	12	1800000	23568000

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या	आवंटित राशि (59000X6 माह)	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की संख्या	आवंटित राशि (36000X6 माह)	विशेष सर्वेक्षण अमीन की संख्या	आवंटित राशि (31000X6 माह)	विशेष सर्वेक्षण लिपिक की संख्या	आवंटित राशि (25000X6 माह)	कुल आवंटन (4+6+8+10)
12	जहानाबाद	10	3540000	17	3672000	177	32922000	20	3000000	43134000
13	अररिया	6	2124000	7	1512000	113	21018000	8	1200000	25854000
14	पूर्णियाँ	5	1770000	7	1512000	87	16182000	10	1500000	20964000
15	शिवहर	4	1416000	6	1296000	56	10416000	6	900000	14028000
16	सुपौल	13	4602000	24	5184000	177	32922000	24	3600000	46308000
17	जमुई	6	2124000	8	1728000	109	20274000	12	1800000	25926000
18	कटिहार	7	2478000	10	2160000	130	24180000	14	2100000	30918000
19	किशनगंज	18	6372000	24	5184000	255	47430000	22	3300000	62286000
20	खगड़िया	8	2832000	10	2160000	120	22320000	11	1650000	28962000
	कुल योग :–	**220**	**77880000**	339	**73224000**	3450	**641700000**	362	**54300000**	**847104000**

(चौरासी करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या– 74 दिनांक 08.01.2021 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड 40 – **2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7 नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती संकल्प संख्या– 315 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. नवनियोजित संविदा कर्मियों को पारिश्रमिकी/मानदेय भुगतान के पूर्व सभी संविदा कर्मियों से उनके शैक्षणिक/अनुभव प्रमाण–पत्र/आरक्षण प्रमाण–पत्र/अन्य प्रमाण–पत्र, जिसके आधार पर नियोजन किया गया है, के संबंध में इस आशय का शपथ –पत्र (कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक) ले लिया जाय कि उनके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण–पत्र सत्य एवं सही है। गलत पाये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिकी/मानदेय को वापस कर दिया जायेगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. आवंटित राशि में विशेष सर्वेक्षण लिपिक को छोड़कर शेष सभी कर्मियों को लैपटॉप/मोबाईल हेतु एक वर्ष के लिए प्रति माह 4,000/– (चार हजार) रूपये की दर से राशि का भुगतान किया जाना है। इस आवंटित राशि के साथ संबंधित कर्मियों को प्रति कर्मी 4,000/– की दर से छः माह के लिए राशि आवंटित की जा रही है। अपने स्तर से आश्वस्त हों ले की जिस कर्मी को लैपटॉप/मोबाईल का भुगतान किया जा रहा है, उसके द्वारा लैपटॉप/मोबाईल का उपयोग सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 8/1/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126/2020....77.... **पटना, दिनांकः**–08-01-2021

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126/2020....77.... **पटना, दिनांकः**–08-01-2021

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020.....77........... **पटना, दिनांक**:–08-01-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020.....77........... **पटना, दिनांक** 08-01-2021

प्रतिलिपि :– सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
8/1/21